संख्या– 390/71–4–19–37/2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2019

विषयः– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–1/2019/68 दिनांक 09.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 की विज्ञप्ति संख्या–182/71–4–2018–37/ 2015 दिनांक 27.03.2018 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3– **उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006** की धारा–10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः–

10–(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी–

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप
(दो) उपलब्ध अवसंरचना
(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय
(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

4– उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम–2006 की धारा–10(1) के बिन्दु छः में उल्लिखित अन्य सुसंगत

कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:–

1. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम–2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
2. वर्ष 2016–17 के Audited Balance Sheet आधार पर शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए शुल्क निर्धारित आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
3. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।
4. जहॉ UG & PG Courses दोनों संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यकम भी संचालित है एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यकम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
5. समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मॅहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढॉचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 02 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।
6. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।
7. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के प्रतिनिधियों द्वारा यह मांग की गयी कि क्लीनिकल/नान–क्लीनिकल स्नातकोत्तर पाठ्यकमों हेतु शुल्क का निर्धारण अलग–अलग किया जाय। तदनुसार क्लीनिकल : नान–क्लीनिकलः : 70 : 30 के अनुपात के आधार पर सीटों की गणना कर शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया जाय।

5– उक्त अधिनियम–2006 की धारा–10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर दिये जाने के उद्देश्य से फीस नियतन समिति की आयोजित बैठक में संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित संबंधित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

6– अतः अधिनियम–2006 की धारा–10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 27.02.2019 एवं दिनांक 28.02.2019 में की गयी।

7– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ तथा समिति के सहयोगार्थ आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा शुल्क निर्धारण समिति को अवगत कराया गया कि शुल्क निर्धारण से संबंधित उपर्युक्त प्रस्तर–4 का मानदण्ड संख्या–07 अस्पष्ट है। व्यावहारिक तौर पर शुल्क निर्धारण के गणना के समय वास्तव में सर्वप्रथम आधार शुल्क (Base price) का निर्धारण किया जाता है एवं क्लीनिकल पाठ्यक्रम हेतु आधार शुल्क पर 30 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त जोड़कर एवं नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम हेतु आधार शुल्क में से 30 प्रतिशत की राशि (आधार शुल्क का 30 प्रतिशत) घटाकर शुल्क का निर्धारण किया गया है।

8– उक्त प्रस्तर–4 में वर्णित मानदण्डों के अतिरिक्त समिति द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त मानदण्डों का निर्धारण किया गयाः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों में प्रायः पैथोलॉजी पाठ्यक्रम की सीटें भर जाती है, किन्तु शेष नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों की सीटें रिक्त रहती हैं अतः क्लीनिकल के अतिरिक्त नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम में पैथोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु तथा शेष नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों हेतु पृथक–पृथक शुल्क निर्धारण किया जाय।

   तद्नुसार शुल्क का निर्धारण क्लीनिकल तथा पैथोलॉजी व अन्य नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

   कतिपय संस्थाओं के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क की गणना पूर्व वर्षों के मानदण्डों के अनुसार किये जाने पर क्लीनिकल पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क में अत्यधिक वृद्वि हो रही है अतएव समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत गत वर्ष के मानदण्डों के आधार पर की गयी गणना के उपरान्त शुल्क वृद्वि की अधिकतम सीमा को निर्धारित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

2. जिन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारण गत वर्ष 2017 में किया गया था उन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गत वर्ष की तुलना में आगामी शुल्क वृद्वि की अधिकतम अनुमन्य सीमा 20 प्रतिशत होगी।
3. जिन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारण गत वर्ष 2018 में किया गया था उन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गत वर्ष की तुलना में आगामी शुल्क वृद्वि की अधिकतम अनुमन्य सीमा 12 प्रतिशत होगी।
4. समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार शुल्क निर्धारण के मानदण्ड को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गयाः–

   (क) क्लीनिकल पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण आधार शुल्क पर 30 प्रतिशत की राशि को जोड़कर शुल्क निर्धारित किया गया।

   (ख) पैथोलॉजी पाठ्यक्रम पर आधार शुल्क से 30 प्रतिशत की राशि घटाकर शुल्क निर्धारित किया जाय, किन्तु न्यूनतम शुल्क रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया।

(ग) अन्य नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम हेतु आधार शुल्क की राशि से 50 प्रतिशत घटाकर परन्तु न्यूनतम शुल्क रू0 8.00 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाय।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को स्टाइपेन्ड के रूप में रू0 7 से 8 लाख प्रतिवर्ष संस्था द्वारा दिया जाता है ऐसे में नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों में न्यूनतम शुल्क पैथोलॉजी हेतु रू0 10.00 लाख तथा शेष नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम हेतु रू0 8.00 लाख को औचित्यपूर्ण पाया गया।

5. यद्यपि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारण वर्ष 2018 में किया गया था किन्तु तत्समय शुल्क का निर्धारण न्यूनतम आधार पर किया गया था। अतः समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत सुभारती मेडिकल कालेज के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारण के समय वृद्वि की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत अनुमन्य किया गया।
6. हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी में गत वर्ष केवल नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम संचालित था अतः नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम के आधार पर ही आधार शुल्क निर्धारित करते हुए नोशनल क्लीनिकल पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित करते हुए तदनुसार 20 प्रतिशत की अधिकतम शुल्क निर्धारण सीमा की गणना किये जाने संबंधी समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

9— उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 07.04.2017 के द्वारा शैक्षणिक बैच 2017—18 एवं 2018—19 हेतु कुल 02 वर्षों के लिए शुल्क निर्धारण किया गया था। इसी के आधार पर समिति द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2019—20 व 2020—21 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

10— संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार—विमर्श एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 व दिनांक 28.02.2019 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा—10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा—10(1)(छः) के आधार पर उक्त प्रस्तर—4 व 7 में वर्णित मानदण्डों को अपनाते हुए निम्नलिखित मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2019—20 एवं 2020—21 के लिए उनके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

क0 सं	संस्था का नाम	अवधि / शैक्षणिक सत्र, जिसके लिए शुल्क निर्धारित किया जा रहा है।	निर्धारित अधिकतम शुल्क प्रतिछात्र प्रतिवर्ष		
			क्लीनिकल	नान क्लीनिकल	
				पैथोलॉजी	अन्य
1	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	2019—20 एवं 2020—21	24,37,500.00	13,12,500.00	9,37,500.00
2	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बरेली।	2019—20 एवं 2020—21	22,17,600.00	11,94,000.00	8,52,900.00
3	श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली।	2019—20 एवं 2020—21	24,84,000.00	13,37,500.00	9,55,400.00

	रामा मेडिकल कालेज रिसर्च सेन्टर एण्ड हॉस्पिटल, कानपुर।	2019–20 एवं 2020–21	NA	11,91,400.00	8,51,000.00
	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़।	2019–20 एवं 2020–21	19,13,600.00	10,30,400.00	8,00,000.000
	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	2019–20 एवं 2020–21	22,71,400.00	12,23,000.00	6,73,600.00
	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा।	2019–20 एवं 2020–21	24,00,200.00	12,92,400.00	9,23,100.00
	तुमकुरी मेडिकल कालेज, मेरठ।	2019–20 एवं 2020–21	13,36,800.00	10,00,000.00	8,00,000.00

11– उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

12– उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmeceedu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण संबंधी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–350(1)/71–4–19–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्याःएमई–3/2019/619 लखनऊःदिनांकः 18 मार्च 2019

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संबंधित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय को इस आशय से कि उक्त शासनादेश अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे
2. डा0बी0डी0सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।